कार्यालय—अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद—सम्भल।

पत्रांक 952 /ग्रा0अ0वि0 / प्र0प0एन0बी0सी0—2005 / 2020—21 दिनांक 22/03/2021

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जनपद—सम्भल।

विषयः— **प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के नेशलन बिल्डिंग कोड—2005 के मानक के अनुरूप निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक् आपके कार्यालय पत्र संख्या बे0शि0 / 18112—16 / 2020—21 दिनांक 20.03.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि सैन्ट मैरीज स्कूल (उच्च प्राथमिक / प्राथमिक), आलम सराय, मण्डी रोड सम्भल स्कूल के भवन निर्माण से सम्बन्धित सूचना व अभिलेखों का विवरण प्राप्त किया गया।

तत्क्रम में विद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों / सूचना के आधार पर अवगत कराना है कि उक्त स्कूल का निर्माण कार्य Er. Sahadeo Pic-1215562, Fiv-18637 Chartered Engineer Consultant 21-A Naveen Nagar, Saharanpur (u.p.) की देखरेख में Er. Sheel kumar, Reg. Building Designer Planner, Surveyor, Estimator No 12, Regulated Area, Sambhal के डिजाईन एव ड्राईंग के आधार पर नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 के अनुसार किया गया है, तथा Er. Sahadeo द्वारा इसका प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त स्कूल भवन का निर्माण कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 के अनुरूप किया गया है, तथा भवन पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

उक्त स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्कूल में शिक्षण कक्ष एवं अन्य सिविल निर्माण कार्य भू—तल / प्रथम तल / द्वितीय तल पर कराया गया है। निरीक्षण में प्रथमदृष्टया पाया गया कि निर्मित भवन बेसिक शिक्षा अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या 89 / अरसठ—3—2018—2041 / 2018 दिनांक 11.01.2019 के प्रस्तर 17(ख) में उल्लेखित मानकों भवन की छत, दीवार आदि स्कूल के उक्त आर्किटेक्ट / इंजीनियर की देख—रेख में बनवायी गयी है, जोकि ठीक पायी गयी, एवं स्कूल भवन में धूप / ठण्ड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था है। कक्षा—कक्ष हवादार व रोशनीयुक्त हैं। प्रथमदृष्टया निकासी मार्ग हेतु निर्मित रेम्प, सीढ़ियाँ एवं भवन का निर्माण कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 के मानक के अनुरूप प्रतीत होता है।

यदि भविष्य में प्रबन्धक सैन्ट मैरीज स्कूल (उच्च प्राथमिक / प्राथमिक), आलम सराय, मण्डी रोड सम्भल, जनपद सम्भल द्वारा प्रस्तुत भवन के मानचित्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

भौतिक रूप से भवन निर्माण के लिए समिति / विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

सहायक अभियन्ता,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
जनपद—सम्भल।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड—सम्भल।

MANAGER
ST. MARY'S SECONDARY SCHOOL
DISTT. SAMBHAL - 244302

PRINCIPAL